छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 236 प्रकरण क्रमांक –**SM-URP-2024-02371**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध महालक्ष्मी सिटी होम्स प्रा.लि., डायरेक्टर–श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, पता–चौबे कॉलोनी, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
31/05/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि महालक्ष्मी सिटी होम्स प्रा.लि. द्वारा–डायरेक्टर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, पता–चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) द्वारा खसरा–89/1/2/3 एवं अन्य खसरा नंबर, कुल रकबा 0.550 हेक्टेयर भूखंड को विकसित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा दिनाँक 12.06.2018 को प्राप्त की गई है, किंतु भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–03 के अधीन पंजीयन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा–59 का उल्लघंन हुआ है, जो कि दंडनीय है। प्राधिकरण द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि खसरा नं.–89/1/2/3 का भाग, रकबा–0.560 हेक्टेयर, अनुज्ञा दिनाँक 12.06.2018 में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और जो नक्शा अनुमोदित कराया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया है। अतः अनावेदक पक्ष संप्रवर्तक की परिभाषा में नहीं आते हैं और न ही नोटिस अधीन भू–संपदा परियोजना है। भविष्य में अनावेदक पक्ष द्वारा विक्रय किये जाने हेतु कोई विज्ञापन संव्यवहार किया जायेगा, उस स्थिति में प्राधिकरण के समक्ष प्रोजेक्ट का पंजीयन करवाया जायेगा। वर्तमान यह अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विचारण योग्य नहीं है। अनावेदक पक्ष का तर्क श्रवण किया गया। चूँकि अनावेदक द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अनावेदक द्वारा जो नक्शा अनुमोदित कराया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया है। अतः प्रकरण अधिनियम के प्रावधान के अधीन भू–संपदा प्रोजेक्ट नहीं है एवं प्राधिकरण को विचारण क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में जमा किया जावें।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 236 प्रकरण क्रमांक –**SM-URP-2024-02371**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध महालक्ष्मी सिटी होम्स प्रा.लि., डायरेक्टर–श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, पता–चौबे कॉलोनी, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	